International Research Vision (Int. Res. Vn.)
ISSN: 2454-3721
Volume 3 Issue 2: 16-18, 2017
Available online http://www.bioglobia.in

डॉ0 अम्बेडकर और सामाजिक न्याय

मृणाल शर्मा * और सुशील शर्मा
राजनीति विज्ञान विभाग, आगरा कॉलेज, आगरा

***Corresponding author's e-mail: mrinal864@gmail.com**

Received: 20.06.2017 **Accepted: 27.06.2017**

सारांश

भारतीय सन्दर्भ में सामाजिक सन्तुलन के रूप में सामाजिक तन्त्र का विशिष्ट रूप है क्योंकि भारत में व्यक्तियों की सामाजिक व राजनीतिक पहचान का आधार जातिगत है। यह बात सच है कि एक सामाजिक पहचान के रूप में जाति का महत्व बढ़ रहा है। दल ही सर्वाधिक उत्तरदायी है। आरक्षण के माध्यम से सामाजिक न्याय के किस रूप की कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी, वह आपका राजनीतिक प्रक्रिया में जातिगत रूप ले चुका है और सामाजिक न्याय जातियों के संघर्ष और सन्तुलन का पर्याय बन गया है।

शीर्षक विश्लेषण

सामाजिक न्याय की चर्चा के पूर्व "न्याय" और "सामाजिक न्याय" को परिभाषित करना उचित होगा। साधारण अर्थों में न्याय का अर्थ – "उचित आधार को बनाये रखने के लिये शक्ति का प्रयोग करना है। इस प्रकार न्याय का अर्थ "उचित की स्थापना करना" है।इस न्याय का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द Justice लैटिन भाषा के जस्टिलिया Justillia से निकला है, जिसका अर्थ है विवेक के अनुसार कार्य करना।

डॉ0 आर. जी. सिंह सामाजिक न्याय को और सरल करते हुए कहते हैं "जब कोई समाज अपने वर्गों–उपवर्गों के साथ पक्षपात रहित व्यवहार करता है तो उसे सामाजिक न्याय कहते हैं। उक्त से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक न्याय की धारणा में मुख्यतः स्वतन्त्रता समानता तथा मातृत्व यही तीन सिद्धान्त समाहित हैं। अम्बेडकर वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर आधारित किसी भी समाज को न्यायोचित नहीं मानते। वे कहते हैं "यदि आप मुझसे पूछे तो मेरा आर्दा होगा स्वतन्त्रता, समानता और मातृत्व के साथ बन्धुत्व भी।यह सत्य है कि उपरोक्त के साथ ही यदि बन्धुत्व की होगा। मार्क्स का कथन उल्लेखित करना समयोचित होगा।[1]

मार्क्स–

"जब प्रत्येक व्यक्ति से उसकी योग्यतानुसार कार्य लिया जायेगा, तब सामाजिक न्याय स्थापित हो जायेगा।"रोल्स ने "ए थ्योरी ऑफ जस्टिस" में सामाजिक न्याय को वर्तमान उदारणा दी। राज्य का आधार स्वीकार किया है। वर्तमान राज्य का आधार न तो अधिकारों की रक्षा और न ही अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है, वरन् राज्य का आधार तो सामाजिक न्याय है। अर्थात् समाज नियमों द्वारा संचालित होता है तथा सामाजिक संस्था द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। उपरोक्त के आधार पर हम सामाजिक न्याय के निम्न आधार पर अच्छी प्रकार परिभाषित कर सकते हैं।

सामाजिक न्याय से अभिप्राय है–

"समाज के उस वर्ग को जो विकास से दूर है उसको राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मुख्य धारा में लाने हेतु दिया गया समर्थन।" सामाजिक न्याय है एक ऐसा वर्ग जो स्वयं को अपना समर्थन देने में असमर्थ है। सामाजिक न्याय से अभिप्राय है समस्त सामाजिक, राजनीतिक अधिकार का उपयोग उस वर्ग के लिये आवश्यक है जो इस विकास क्रम सामाजिक न्याय का उद्देश्य समाज में समानता स्थापित कर एवं समानता के रास्ते में उत्पन्न समस्त गतिरोधों का उन्मूलन करना है तथा एक ऐसे वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है जिसकी जड़ें सामाजिक संगठन, सम्बन्ध एवं राजनीतिक संस्कृति में विद्यमान है। किसी देश का सामाजिक परिदृश्य उस देश के सामाजिक न्याय की

अवधारणा को निर्धारित करता है। भारत का संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय को स्थापित करने का उल्लेख किया गया है। जो सामाजिक न्याय की अवधारणा संविधान में निहित है। वह भारत के प्राचीन ऐतिहासिक एवं सतत् विकास का ही परिणाम है। परन्तु यहाँ यह कहना भी तर्कसंगत होगा कि सामाजिक न्याय की अवधारणा के आयामों में यह भी परिवर्तनशील रही ह।[2]

डॉ0 अम्बेडकर के वैचारिक दर्शन का आधार –

यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि आखिर समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य निकटता क्यों नहीं है ? स्वतन्त्रता के उपरान्त जनसंचार एवं यातायात के साधनों का विकास हुआ परन्तु हमारे मध्य स्थानीय दूरियाँ तो घटीं, किन्तु धर्म, जाति, भाषा तथा क्षेत्रीय स्वार्थों के चलते सामाजिक दूरियों में वृद्धि हुई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ यह विचारणीय प्रश्न है। ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिनका उत्तर भीमराव अम्बेडकर के दर्शन को समझने और उनके द्वारा किये गये सामाजिक, पारिवारिक और भौतिक परिवेश को जानना भी आवश्यक है। क्योंकि उनकी सोच और कार्य पद्धति पर उनके परिवेश का गहरा असर पड़ा है। इसके अतिरिक्त समाज की चुनौतियों सभी वर्गों के लिये समान ही होता है। परन्तु उद्देश्य सभी के पृथक होते हैं, साधन पृथक होते हैं। यहाँ पर हमें बाबा साहब के सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था पर उनके विचार व उपलब्धियाँ जानना आवश्यक है।

सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में–

उनका कहना है कि समाज व मानव शरीर समान नहीं है। यह एक ऐसा संगठन है जो मानव स्वभाव तथा प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर है। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि "मनुष्यों के शारीरिक रूप से पास–पास रहने से समाज का निर्माण नहीं होता है और न कोई व्यक्ति उससे पृथक रहकर समाज का सदस्य रह पाता ह। रीति रिवाज, विचारों तथा विश्वासों में समानता भी मनुष्यों को समाज में संगठित करने की कसौटी नहीं है।" समाज तो एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा सभी लोग आपस में इस प्रकार मिलते हैं कि अनुमान, विचार भावना तथा अन्य मूल्य सामान्य बन जायें। उनका आगे कहना है कि "केवल वे ही लोग वास्तविक समाज का निर्माण करते हैं जो सभी वस्तुओं को सामान्य सम्पत्ति समझते हैं। आचार–विचारों में समानता पाना सामान्य सम्पत्ति के विचारों से बिल्कुल भिन्न है और वह मार्ग जिसके द्वारा सब लोग यह अनुभव करें सब समान हैं और यही कारण है कि समाज आदान प्रदान के द्वारा ही आगे बढ़ता है।[3]

वास्तव में देखा जाये तो लेन–देन की प्रक्रिया में ही सामान्यजन की भलाइ हुयी है और यही मानवता तथा प्रजातन्त्र के लिये आवश्यक भी है। धर्म और राजनीति से भी महत्वपूर्ण है, सामाजिक समरसता समाज को एकता के सूत्र के बांधने वाले दो तत्व हैं– (1) विधि (2) नैतिकता । इसके लिये आवश्यक है समाज की सामाजिक बुराइयों को सर्वप्रथम दूर किया जाये। बाबा साहब व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के प्रबल पक्षधर थे। सामाजिक व्यवस्था व्यक्ति के विकास में सहायक हो ऐसी उनकी मान्यता थी। यही कारण था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों उपचारों का प्रावधान करने का प्रस्ताव भी रखा। राजनीतिक प्रजातन्त्र जो स्थान स्वतन्त्रता को प्राप्त हैं, वही स्थान सामाजिक एवं समानता को भी प्राप्त हैं। सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातन्त्र के अभाव में राजनीतिक प्रजातन्त्र सफल नहीं हो सकता। अतः डॉ0 अम्बेडकर सच्चे लोकतन्त्र के अनुयायी थे। उनका मानना था कि परम्परागत भारतीय समाज का ढांचा जन्मजात असमानता के सिद्धान्त पर आधारित है जो यह मानता है कि जन्म के आधार पर ही कुल की रचना होती है। निःसंदेह स्वतन्त्र व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतन्त्रता के बिना व्यक्ति का सामाजिक विकास सम्भव नहीं है। स्वतन्त्रता जीवन के सभी क्षेत्रों सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक, शैक्षिक में प्राप्त होनी चाहिये। इनमें अनेक मान्यतायें विद्यमान हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि एकता का आदर्श निरर्थक है परन्तु मानव जीवन के अनुशासित करने के लिये इसके आधारभूत सिद्धान्त को स्वीकार करना होगा, जिससे अपेक्षित समाज समानता पर बल देते हैं, वह साधन उपलब्ध कराकर स्पर्धायुक्त समाज की परिकल्पना करते हैं।

भारत के संदर्भ में (सामाजिक न्याय व राज्य व्यवस्था) -

अम्बेडकर पहले सिद्धान्तवादी जिन्होंने कहा कि राज्य अधिकारों को कायम रखने को प्रतिबद्ध है। उनका मानना है कि रचनात्मक दृष्टिकोण एवं सकारात्मक उपाय ही समाज को केवल अन्तःकरण

को अपेक्षा की बेहतर गारंटी है तथा नैतिक अन्तःकरण को भी शुद्ध बनाना आवश्यक है। उन्होंने वंचित समूहों के लिये सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण की उस सीमा तक पात्र ताकि वे इस प्रकार के रोजगार की शर्तों को पूरा कर सके। अम्बेडकर कहते हैं कि "किसी भी प्रकार का खून खराबा न करते हुये शोसित अत्याचार ग्रस्त उपेक्षित समाज को प्रदान करना ही सामाजिक न्याय है।" न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर का कथन है – कानून का राज्य एवं जीवन जीने का अधिकार एक साथ मिलाकर सामाजिक न्याय अस्तित्व में नागरिकों, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सहभागिता देखा। उन्हें कम से कम प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति है। सामाजिक न्याय है।[4]

निष्कर्ष

अन्त में यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख एवं उनका पालन सामान्य के सभी वर्गों को जाति, धर्म की स्वतन्त्रता की व्यवस्था एवं समानता के साथ–साथ आपसी सौहार्द का भी उल्लेख करता है। डॉ0 अम्बेडकर का स्वप्न एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जिसमें व्यक्ति को जाति के साथ–साथ योग्यता आधारित कार्य मिले, वह शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि जड़ से हमें मजबूत होना है और वही स्थायी भी है। भारतीय संविधान व सामाजिक संरचना में उनके योगदान को सर्वथा याद रखा जायेगा।

Aristotle asserted that "Justice is a virtue implying relation to others, for it promotes the interest of another, whether he be a ruler or simply a fellow citizen".

संदर्भ सूची

1. Frank thilly,1956. A History of Philosophy INAS Publishers, Jaipur, *p.*115.
2. Agarwal, A.K. 2007. Baba Sahab A. and Social Justice, published research paper in Samajic Sahayog, A National Journal Ujjain, M.P., Vol. 44: 37.
3. Anand Sudhir, S. 2006. Indian Judiciary and Social Justice, R.P. A Journal of Asia for Democracy Development, A Quarterly Journal of SC, Morena (M.P.).
4. Bhim Rao Ambedkar.1945. What Congress and Gandhi have done untouched. Thacker and Co. Ltd., Bombay.